शोध पत्र - समजाशास्त्र

वर्तमान भारतीय समाज में नारी दशा- एवं दिशा

* रिंकू कुमार ** संदीप

* सुपुत्र मामचन्द्र गांव खासपूर डाक. अमीन कुरूक्षेत्र (हरियाणा)
** सुपुत्र श्री इन्द्र सिंह गांव मोहम्मद खेड़ा जीन्द (हरियाणा)

शोध आलेख–सार

ममता की मूर्ति, अर्धांगिनी, सुन्दरता की देवी, देवस्वरूपा आदि नामों से जानी जाने वाली नारी की दशा सभ्य व आधुनिक कहे जाने वाले भारतीय समाज में निरंतर दयनीय होती जा रही है। हम प्रगति के नित नए सोपान गढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देश की आधी आबादी का हिस्सा महिलाएं आज भी दोयम दर्जे के प्राणी के रूप में देखी जाती हैं। उन्हें अपने जन्म लेने से पहले व जन्म के बाद भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। वर्तमान में हम भौतिकतावाद की अन्धी दौड़ के पीछे हमारे मूल्यों व प्रतिमानों को भूनाते जा रहे हैं जो हमें एक सामाजिक प्राणी होने का एहसास कराते हैं।

मुख्य शब्द– भारतीय नारी, आधुनिकता, भौतिकवाद, महिलाएं एवं बाजार, शोषण ।

महिलाओं के खिलाफ अपराध का बढ़ता ग्राफ :

हम आये दिन मीडिया में बलात्कार, हत्या, अपहरण, दहेज की खबरें देखते व सुनते हैं। चाहे पांच साल की बच्ची हो या पैंसठ साल की बूढ़ी महिला आज वह घर व बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो के अुनसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा की दर 70 प्रतिशत बढ़ी है। 2010 के मुकाबले 2011 में बलात्कारों में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 10.6 प्रतिशत बलात्कार की शिकार 14 वर्ष तक की लड़कियां है। 19 प्रतिशत बलात्कार की शिकार 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की लड़कियां है। 94.2 प्रतिशत बलात्कार की शिकार महिलाओं के अपराधी उनके पड़ोसी, परिचित व रिश्तेदार होते हैं। वर्ष 2011 में महिलाओं पर 2,28,650 अत्याचार के केस दर्ज हुए। अकेले मध्यप्रदेश में सर्वाधिक 3406 बलात्कार के केस दर्ज हुए। ये वे मामले हैं जो दर्ज हुए। न जाने कितने हजारों मामले समाज में नाक बचाने के डर से या पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये के कारण दर्ज ही नहीं हो पाते।

महिलाएं एवं घरेलु हिंसा :

घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 जहां महिलाओं के खिलाफ घर पर होने वाली हिंसा एवं शोषण के खिलाफ कानूनी अधिकार प्रदान करता है। लेकिन फिर भी महिलाएं घर पर स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती। आए दिन अखबारों में उनके जलाने, मारने–पीटने, मानसिक प्रताड़िना, यौन शोषण व दहेज हत्या की खबरें छपती हैं। महिलाएं भी घर पर व घर से बाहर अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है।

महिलाएं एवं बाजार :

वर्तमान में नारी देह का बाजारीकरण कर दिया गया है। शैम्पू की पुड़िया से लेकर हवाई जहाज तक अपने उत्पाद बेचने के लिए नारी को बाजार से जोड़ दिया गया है। पान की दुकान से बीयर बार तक सब जगह महिलाओं के अर्धनगन तस्वीर लगाई जाती है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए नारी को एक वस्तु के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। बाजार की चकाचौंध देखकर महिलाएं भी इसकी ओर खींची चली आ रही हैं।

जनसंचार माध्यम और महिलाएं :

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना जाता है जिस पर समाज के सही चित्रण का उत्तरदायित्व है। यह समाज को मार्गदर्शित करने का कार्य करता है। वहीं मीडिया के दुष्प्रभाव से महिलाओं में अश्लीलता के रूप में एक नई प्रवृति उभर रही है। जिसके नकारात्मक प्रभाव आज भारतीय समाज पर पड़ रहे हैं। अधिकांश महिलाओं में टेलिविजन से विरोध में बढ़ोतरी हुई है। उनमें अपराध ा प्रवृति बढ़ रही है और टेलीविजन ने समाज में अलगाव, मद्यपान व चोरी आदि में भी थोड़ी वृद्धि की है।

कामकाजी महिलाओं के साथ अपराध :

कामकाजी महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार रूका नहीं है। वे अपने कार्य स्थल पर सुरक्षित महसूस नहीं करती। कार्य स्थल पर उनके साथ छेड़–छाड़, मानसिक रूप से तंग करना या यौन शोषण जैसी शर्मनाक घटनाएं होती रहती हैं। बेचारी महिला सामाजिक निंदा या बीमार प्रशासनिक व्यवस्था के कारण अपना दुख प्रकट नहीं कर पाती व शोषण की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाती है।

सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा में चूक :

`चाहे दिल्ली में 16 दिसम्बर, 2012 की 'दामिनी' के साथ हुई सामुहिक दुष्कर्म की घटना हो जिसने सारी दुनिया का ध्यान दिल्ली पर केन्दित कर दिया व सारी

मानवता थर्रा उठी थी । या फिर हाल ही में हुई मुंबई में लड़की पर तेजाब फैंकने की घटना । इनसे पता चलता है कि महिलाएं कहीं भी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। सरकार ऐसिड अटैक पर कड़ा रूख अपनाने जा रही है । सरकार तेजाब फैंकने को गैर जमानती अपराध घोषित करना चाह रही है । साथ ही ऐसिड बिक्री के लिए लाइसेंस व ऐसिड खरीद पर पहचान को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है ।

नारी एवं जातिवाद :

जातिवाद भी नारी की दोयम दर्जे की स्थिति के लिए उत्तरदायी है । रूढ़िवादी जातीय एवं धार्मिक मान्यताएं स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित करती है व उन्हें शोषण सहन करने के लिए आधार प्रदान करती है । अगर एक नारी है और साथ ही वह दलित भी है तो उसकी स्थिति ओर भी विकट हो जाती है।

खाप पंचायते एवं महिला :

खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान भी महिलाओं को और अधिक प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं जिनकी कार्यवाही पर माननीय न्यायालय भी नकेल लगाने के लिए कह चुका है लेकिन इनकी कार्यवाही अबाध रूप से जारी है । महिलाओं से घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूक करने में हरियाणा के जींद जिले के गांव बीबीपुर की ग्राम पंचायत द्वारा पहली ग्राम सभा अप्रैल 2013 में बुलाई गई जिसमें काफी चर्चा हुई व महिलाओं को नई—नई जानकारी प्राप्त हुई जोकि महिला सशक्तिकरण में एक नई पहल साबित होगी। लिंगानुपात को सुधारने के लिए जींद जिले के थुआ गांव ने अग्रणी कार्य किया है।

इस गांव का 2012 में लिंगानुपात 1272 रहा व इसकी ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये नकद ईनाम के रूप में दिए गए ।

निष्कर्ष :

आज चंद भारतीय महिलाएं भले ही उच्च पदों पर कार्यरत हों लेकिन आबादी का बहुत बड़ा भाग जिनमें ग्रामीण व निर्धन महिलाओं की संख्या अधिक है वे निम्न जीवन जीने को मजबूर है। एक बेटी को शाम को घर से बाहर निकलते समय सौ बार सोचना पड़ता है । समाज में बुरी मानसिकता के शिकार भेड़ियों की नजरें हमेशा उन्हें प्रताड़ित करने पर लगी रहती है । ऐसे में एक सभ्य व स्वच्छ समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए । पुरुष को अपनी मानसिकता में बदलाव करने की आवश्यकता है । कानून केवल किताबों के लिए न बनें बल्कि उनका कड़ाई से पालन भी होना चाहिए। इसके लिए महिलाओं को एकजुट होना भी आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ

1. प्रो॰ सरिता वाशिष्ठ, 'महिला और कानून', कल्पना प्रकाशन, दिल्ली, 2010
2. डॉ॰ मंजु लता, 'जनसंचार माध्यम और महिलाएं', अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2012
3. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता 'नारीवादी राजनीति' (संघर्ष एवं मुद्दे), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
4. दैनिक भास्कर, 11 अप्रैल, 2013
5. नेशनल क्राईम रिपोर्ट ब्यूरा, 2011